'परिवारों' की लापरवाही मछुआरों पर भारी

प्रधानमंत्री का आरोप, द्रमुक ने कच्चातिवु को लेकर मछुआरों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया

अर्चिस मोहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने तमिलनाडु के मुछुआरों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अखबार में छपी खबर का लिंक भी शेयर किया, जिसमें कहा गया कि कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने द्रमुक नेतृत्व को विश्वास में लिया था।

एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और द्रमुक को 'परिवार यूनिट' बताया जो केवल अपने बेटे-बेटियों की परवाह करते हैं। उन्होंने कहा कि कच्चातिवु पर दोनों दलों की लापरवाही का खमियाजा गरीब मछुआरों को भुगतना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर एक दिन पहले कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला था। मालूम हो कि कांग्रेस और द्रमुक दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और तमिलनाडु में मिलकर सरकार चला रहे हैं।

दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्रियों एम. करुणानिधि और जे. जयललिता के बीच हमेशा विवाद की जड़ रहा कच्चातिवु द्वीप का भावनात्मक मुद्दा लोक सभा चुनाव से ऐन पहले एक बार फिर गरमा गया है। इस द्वीप को भारत सरकार ने 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को आड़े हाथों लिया जो समझौते के वक्त सत्ता में थे। इसके बाद तमिलनाडु में लोक सभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से कुछ दिनों पहले यह मुद्दा अब केंद्र में आ गया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को दावा किया कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने कच्चातिवु द्वीप को लेकर उदासीनता दिखाई और भारतीय मछुआरों के अधिकार छीन लिए।

फिलहाल लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस-द्रमुक गठबंधन के बीच ही प्रतीत होती है। भाजपा इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के लिए कांग्रेस तथा द्रमुक को जिम्मेदार ठहरा रही है।

इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कच्चातिवु के बजाय भारतीय क्षेत्र पर 'चीनी कब्जे' पर बोलना चाहिए। चिदंबरम ने कहा कि अच्छे संबंध बनाए रखने और लाखों तमिलों की जान बचाने के लिए यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि तमिल मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी और उत्पीड़न के साथ कच्चातिवु वापस लेने का मुद्दा द्रविड़ राजनीति के दिग्गजों के बीच गहन बहस का विषय रहा है। जयललिता ने एक बार मछुआरों की परेशानियों को समाप्त करने के लिए द्वीप को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया था और उनकी पार्टी ने हमेशा इसे रोकने के वास्ते कुछ नहीं करने के लिए द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को दोषी ठहराया है, हालांकि वर्ष 1974 में सत्ता की बागडोर उसी के पास थी। करुणानिधि ने कहा था कि उन्होंने कभी भी द्वीप को सौंपे जाने को स्वीकार नहीं किया और न ही वह इसके लिए सहमत हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपना विरोध जताया था। द्रमुक ने हमेशा कहा है कि कच्चातिवु को सौंपे जाने के विरोध में उसने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था। वास्तव में सत्तारूढ़ द्रमुक और अन्नाद्रमुक, दोनों ने कच्चातिवु को फिर से प्राप्त करने का समर्थन किया है। कच्चातिवु को वापस लेने का मुद्दा प्रमुख द्रविड़ दलों के बीच तीखी बहस का विषय रहा है।

केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 1974 और 1976 में श्रीलंका को द्वीप को देने के लिए समझौते किए गए। वर्ष 1971 के चुनाव में द्रमुक ने गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। जयललिता ने अपनी निजी हैसियत से इस द्वीप को वापस पाने के लिए 2008 में उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने दिखाई उदासीनता

विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों ने कच्चातिवु को एक 'छोटा द्वीप' और 'छोटी चट्टान' बताया था। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अचानक सामने नहीं आया है बल्कि यह हमेशा से एक जीवंत मुद्दा है। कच्चातिवु द्वीप समुद्री सीमा समझौते के तहत 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। जयशंकर ने कहा कि आए दिन यह मुद्दा संसद में उठाया जाता है और इसे लेकर अक्सर केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच पत्राचार होता है। जयशंकर ने कहा कि खुद उन्होंने कम से कम 21 बार मुख्यमंत्री को जवाब दिया है। विदेश मंत्री ने जनता के सामने इस समझौते के खिलाफ होने का रुख दिखाने के लिए द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) पर निशाना साधा।

द्रमुक नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि को भारत और श्रीलंका के बीच 1974 में हुए समझौते के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और द्रमुक ने संसद में यह इस तरह मुद्दा उठाया जैसे कि उनकी इसके लिए कोई जिम्मेदारी ही नहीं है जबकि यही वे दल हैं जिन्होंने यह समझौता किया। उन्होंने कहा कि द्रमुक की 1974 में और उसके बाद इस स्थिति को पैदा करने में कांग्रेस के साथ काफी हद तक 'मिलीभगत' थी। जयशंकर ने कहा कि 20 वर्षों में श्रीलंका ने 6,184 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया और उनकी मछली पकड़ने की 1,175 नौकाओं को जब्त किया है।

भाजपा के 'अचानक उमड़े प्यार' पर उठे सवाल

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कच्चातिवु मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनकी आलोचना किए जाने पर सोमवार को पलटवार करते हुए चुनाव से पहले मछुआरों के लिए भाजपा के 'अचानक उमड़े प्यार' पर सवाल उठाया।

उन्होंने तमिलनाडु द्वारा मांगे गए 37,000 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत पैकेज समेत कई मुद्दों को लेकर भी प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि भारतीय मछुआरों के इस विवादित द्वीप पर मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकार हैं। **भाषा**

15 तक तिहाड़ भेजे गए केजरीवाल

विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत की न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में 55 वर्षीय केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संबंधित आबकारी नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के मामलों से संबंधित मुद्दों पर एक बयान को लेकर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को 'भ्रमित' बताया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने कहा कि आप के संचार प्रभारी विजय नायर 'उन्हें नहीं, बल्कि उनके कैबिनेट सहयोगियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे' तथा नायर के साथ उनकी बातचीत 'सीमित' थी। इस मामले में नायर को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

ईडी ने न्यायिक हिरासत के अनुरोध वाली अपनी याचिका में कहा कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद हिरासत में पूछताछ के दौरान केजरीवाल सवालों के गोलमोल जवाब देते नजर आए और जानकारी छिपाई। इसने पूर्व में केजरीवाल को कथित घोटाले का 'सरगना और षड्यंत्रकारी' कहा था। आप और इसके नेताओं ने बार-बार आरोपों से इनकार किया है।

केजरीवाल ने आप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को भ्रमित बताया: ईडी

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह मामला भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यह दिखाने के लिए गढ़ा है कि आप एक 'भ्रष्ट' पार्टी है।

ईडी ने अदालत से कहा, 'गिरफ्तार व्यक्ति (केजरीवाल) ने आप के अन्य सदस्यों के बारे में झूठे और विपरीत सबूत भी दिए हैं। जब उनसे (केजरीवाल) उनकी ही पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उन्हें भ्रमित बताया।' इसने कहा, 'आप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता (सीए और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष) ने अपने बयान में खुलासा किया है कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ही राज्य चुनाव प्रभारी की नियुक्ति करते हैं।'

एजेंसी ने पूर्व में आरोप लगाया था कि आप नेताओं की ओर से नायर को 'साउथ ग्रुप' शराब लॉबी से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली, जिसमें कथित तौर पर बीआरएस नेता के. कविता और अन्य शामिल हैं। **भाषा**

कर नोटिस को लेकर कांग्रेस के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं

आयकर विभाग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस के संबंध में लोक सभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के पीठ ने आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पीठ ने कहा, 'इस आवेदन पर सुनवाई की शुरुआत में, प्रतिवादी विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मार्च 2024 के महीने में कई तारीखों पर अपीलकर्ता के खिलाफ लगभग 3,500 करोड़ रुपये की मांग की गई है।' उसने कहा, 'आगे (एसजी तुषार मेहता द्वारा) दलील दी गई कि इन अपीलों में जो मुद्दे सामने आए हैं, उन पर अभी फैसला सुनाया जाना बाकी है, लेकिन अब की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विभाग इस मामले को तूल नहीं देना चाहता है क्योंकि प्रतिवादी विभाग द्वारा लगभग 3500 करोड़ रुपये की उपरोक्त मांग के संबंध में कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।' पीठ ने अलग-अलग कर मांग नोटिस पर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई को 24 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया।

कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इस रुख की सराहना करते हुए कहा कि अलग-अलग वर्ष के लिए सारे मांग नोटिस फरवरी और मार्च में जारी किए गए जो कुल 3500 करोड़ रुपये के थे। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत कम ही निशब्द रहता हूं। लेकिन मेरे जानकारी मित्र के हस्तक्षेप से मैं निशब्द रह गया हूं। कृपया इसे जुलाई में लें।' शुरुआत में मेहता ने कहा, 'याचिकाकर्ता एक राजनीतिक दल है। 2016 के फैसले के आधार पर, जिसे चुनौती दी गई है, हमने 1700 करोड़ रुपये की मांग उठाई है। चूंकि चुनाव चल रहा है, हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी पार्टी के लिए कोई समस्या पैदा हो, इसलिए चुनाव के बाद मामले की सुनवाई होने तक हम 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।' उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला 23 मार्च 2016 का है और उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर 2021 में पार्टी के खिलाफ कर की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को इस मुद्दे के गुण-दोषों पर बहुत कुछ कहना है और वे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर मुख्य याचिका का जवाब देना चाहेंगे। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने मेहता से पूछा कि क्या याचिका में विषय के रूप में मांग नोटिस थे। मेहता ने 'नहीं' में जवाब दिया।

कांग्रेस ने रविवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से एक बार फिर नया नोटिस मिला, जिसके जरिये आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गई है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये के कर की मांग की जा चुकी है। पार्टी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। कर अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिये हैं। **भाषा**

आयकर विभाग ने उच्चतम न्यायालय को दी जानकारी

फैक्ट चेकिंग के लिए मेटा का करार

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर गलत जानकारी का पता लगाने, उसकी समीक्षा करने और मूल्यांकन करने के लिए मेटा की 'थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप' (3पीएफसी) के साथ पीटीआई ने करार किया है। मेटा लोक सभा चुनाव प्रचार के गति पकड़ने के बीच अपने तृतीय पक्ष तथ्यान्वेषी नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और इस सिलसिले में उसने भारत की शीर्ष समाचार एजेंसी के साथ जुड़ने की घोषणा की।

पीटीआई के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रधान संपादक विजय जोशी ने कहा, 'मेटा के 3पीएफसी कार्यक्रम में शामिल होकर पीटीआई की फैक्ट चेक क्षमता और प्रभाव महत्त्वपूर्ण तरीके से बढ़ेगा। यह साझेदारी भारत में डिजिटल परिदृश्य में गलत सूचनाओं के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेगी और उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन दुनिया में अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी।' पीटीआई एशिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी समाचार एजेंसियों में से एक है। इसका भारत और दुनिया भर में संवाददाताओं का विशाल नेटवर्क है और यह टेक्स्ट, वीडियो, तस्वीरों तथा इंफोग्राफिक्स के रूप में समाचार मुहैया कराती है।

गलत सूचनाओं के प्रसार से लड़ने और लोगों को अधिक प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए, मेटा स्वतंत्र तृतीय-पक्ष तथ्य-जांचकर्ताओं के साथ साझेदारी करती है जो गैर-पक्षपातपूर्ण 'इंटरनैशनल फैक्ट-चेकिंग नेटवर्क' (आईएफसीएन) के माध्यम से प्रमाणित हों और मेटा के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं की पहचान, समीक्षा और मूल्यांकन करते हों। मेटा ने दुनियाभर में किसी भी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा स्वतंत्र 'फैक्ट चेक' करने वाला नेटवर्क बनाया है जिसमें दुनिया में करीब 100 से अधिक साझेदार 60 से अधिक भाषाओं में गलत सूचनाओं की समीक्षा कर उनका आकलन करेंगे।

मेटा के '3पीएफसी' कार्यक्रम में स्वतंत्र तथ्य-जांचकर्ताओं के साथ साझेदारी करके काम किया जाता है जो अपने मंचों पर साझा की गई सामग्री की सटीकता की समीक्षा और रेटिंग करते हैं। जब किसी उपयोगकर्ता के सामने तथ्यान्वेषी दल द्वारा गलत या भ्रामक के रूप में चिह्नित सामग्री आएगी तो तदनुसार उसे 'लेबल' किया जाएगा और उपयोगकर्ताओं को तथ्यात्मक जानकारी वाले लिंक पर भेजा जाएगा। इससे गलत सूचनाओं का प्रसार रुकता है और उपयोगकर्ता अपनी विषयवस्तु के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। **भाषा**

मेटा ने तृतीय पक्ष तथ्य जांच कार्यक्रम के लिए पीटीआई संग किया करार

राहुल के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 'मैच फिक्सिंग' वाली टिप्पणी सहित कुछ अन्य टिप्पणियों के लिए सोमवार को निर्वाचन आयोग से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शिकायत की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां निर्वाचन आयोग में अधिकारियों से मुलाकात की और गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पुरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में जनसभा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की टिप्पणी 'अत्यंत आपत्तिजनक' थी क्योंकि यह न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा, 'रविवार को एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव एक फिक्स मैच है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग में अपने लोगों को तैनात किया है।' पुरी ने कहा, 'हमने निर्वाचन आयोग से राहुल गांधी, अन्य कांग्रेस नेताओं और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया।' **भाषा**

भीषण गर्मी में चुनाव के 3 चरण, आयोग अलर्ट

अर्चिस मोहन

इस साल देश में अप्रैल के अंत से प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां उत्पन्न होने का पूर्वानुमान है। संयोग से इसी दौरान लोक सभा चुनाव भी होने हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि ऐसे में सभी हितधारकों के लिए पहले से तैयारी करना महत्त्वपूर्ण है। भीषण गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने अपने 16 मार्च के दिशानिर्देशों को दोहराते हुए राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों से गर्मी में मतदाताओं के लिए हर जरूरी इंतजाम करने को कहा है।

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इससे पहले गर्मी के मद्देनजर देशभर में लगभग दस लाख मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए थे, ताकि मतदाताओं को वोट डालने के दौरान कोई दिक्कत पेश न आए।

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हमें आने वाले ढाई महीने प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ेगा। संयोग से इसी दौरान आम चुनाव भी हैं, जिसमें लगभग एक अरब लोगों के मतदान करने की उम्मीद है।' रिजिजू ने कहा कि उन्होंने भीषण गर्मी के पूर्वानुमान के बीच चुनावों के मद्देनजर हितधारकों के साथ एक उपयोगी बैठक की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों ने व्यापक तैयारी की है। यह चुनाव हम सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। चूंकि हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और प्रतिकूल मौसम झेलना पड़ता है, इसलिए पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी हो जाता है।

मालूम हो कि 2004 के बाद से लोक सभा चुनाव गर्मी के मौसम में हो रहे हैं। वर्ष 2004 में आखिरी चरण का चुनाव भीषण गर्मी के बीच 10 मई को संपन्न हुआ था। वर्ष 2009 के लोक सभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 13 मई और 2014 में 12 मई तथा 2019 के चुनाव में 19 मई को अंतिम चरण का मतदान हुआ था। उस दौरान देश में तेज गर्मी पड़ रही थी। हालांकि 2024 के चुनाव में अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। इस साल होने वाले चुनाव के अंतिम तीन चरणों में हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा और पंजाब में वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 20 मई को 49 सीट पर, छठे चरण में 25 मई को 57 सीट पर और 7वें चरण में 1 जून को 57 सीट पर मतदान होगा। मई और जून में देश में जबरदस्त लू चलती हैं। निर्वाचन आयोग ने लगभग 10 लाख पोलिंग बूथों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्तों को दिए हैं।

भारत में बढ़ रही ऑपरेशन से डिलिवरी की दर

अंजलि सिंह

देश भर में ऑपरेशन से बच्चे पैदा होने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के अध्ययन में खुलासा हुआ कि सीजेरियन सेक्शन (सी-सेक्शन) यानी बड़े ऑपरेशन से डिलिवरी में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीएमसी प्रेग्नैंसी ऐंड चाइल्ड बर्थ जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में पाया गया कि गर्भावस्था के दौरान आने वाली दिक्कतें तो कम हुई हैं, परंतु 2016 से 2021 के बीच पांच वर्ष की अवधि में बड़े ऑपरेशन से बच्चे पैदा होने की दर 17.2 प्रतिशत से बढ़कर 21.5 प्रतिशत पहुंच गई।

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं के सहयोग से किए गए अध्ययन में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 2015-16 से 2019-21 के बीच के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। रोचक तथ्य यह है कि सी-सेक्शन में यह वृद्धि उस स्थिति के बावजूद हुई है जब महिलाओं में गर्भावस्था संबंधी परेशानियां कम सामने आईं। इससे पता चलता है कि चिकित्सा कारणों से बच्चा पैदा करने के लिए बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि इसके लिए गैर-चिकित्सीय कारक अधिक जिम्मेदार हैं।

चिकित्सीय कारणों से कभी-कभी बच्चे की सुरक्षित डिलिवरी के लिए बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन गैर जरूरी कारकों के चलते ऑपरेशन से डिलिवरी के कारण बच्चे और मां दोनों की जिंदगी के लिए खतरा रहता है। अध्ययन में यह बात भी उभर कर सामने आई कि निजी अस्पतालों में होने वाली कुल डिलिवरी में लगभग आधी सी-सेक्शन यानी बड़े ऑपरेशन से अंजाम दी जाती हैं। शोध में निजी और सरकारी अस्पतालों में सी-सेक्शन डिलिवरी की दर में बड़ा अंतर देखने को मिला है। सरकारी अस्पतालों के मुकाबले निजी स्वास्थ्य केंद्रों में चार गुना डिलिवरी सी-सेक्शन से हुईं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तो निजी अस्पतालों में सी-सेक्शन डिलिवरी की संख्या दस गुना अधिक पाई गई, जबकि तमिलनाडु में यह आंकड़ा तीन गुना पाया गया।शोध में यह भी पता चला कि अधिक मोटी और अधिक उम्र (35-49 वर्ष) की महिलाओं में सीजेरियन से डिलिवरी की दर दोगुना पाई गई। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में अधिक शिक्षित महिलाओं में भी सीजेरियन से बच्चे पैदा होने की दर अधिक पाई गई। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भी महिलाएं डिलिवरी के लिए निजी अस्पतालों का रुख करती हैं। इस कारण वहां सीजेरियन डिलिवरी की दर अधिक दर्ज हो रही है।

प्रो. वीआर मुरलीधरन जोर देकर कहते हैं, 'सी-सेक्शन के लिए यह मायने रखता है कि डिलिवरी कहां की गई- सरकारी अस्पताल में या निजी में। इससे यह भी संकेत मिलता है कि ऑपरेशन के लिए चिकित्सीय जरूरत प्राथमिक कारक नहीं था।' विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) 10 से 15 प्रतिशत के बीच सी सेक्शन की सलाह देता है। आईआईटी मद्रास के शोध से पता चलता है कि भारत में सीजेरियन से डिलिवरी की दर बढ़ रही है। इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए।

शोध कताओं ने इस यह भी सिफारिश की है कि नीति निर्धारकों को क्षेत्रीय भिन्नता और चिकित्सीय जरूरत को देखते हुए सी-सेक्शन से संबंधित दिशानिर्देश लागू करने चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु के निम्न आय वर्ग की महिलाओं की निजी अस्पतालों में सी-सेक्शन से डिलिवरी की बढ़ती दर पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत पर बल दिया।

शोध से खुलासा

- आईआईटी मद्रास के अध्ययन में खुलासा, गर्भावस्था की परेशानियां हुईं कम परंतु बड़े ऑपरेशन से बच्चे होने की घटनाएं बढ़ीं
- सरकारी अस्पतालों के मुकाबले निजी स्वास्थ्य केंद्रों में चार गुना डिलिवरी सी-सेक्शन से हुईं
- छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तो निजी अस्पतालों में सी-सेक्शन डिलिवरी की संख्या दस गुना अधिक पाई गई

www.bankofbaroda.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
Hamesha Aapke Liye

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
बड़ौदा सन टॉवर, मुंबई

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

क्रम सं.	निविदा का नाम	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	5 साल की अवधि के लिए डीसी / डीआर पर लोड बैलेंसर्स की आपूर्ति, इन्स्टालेशन और रखरखाव के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)	23.04.2024
2	वित्त वर्ष 2024–2027 के लिए इंटेल आधारित सर्वरों और इनके पार्ट्स की आपूर्ति, इन्स्टालेशन और रखरखाव हेतु वेंडरों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध	23.04.2024

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in के निविदा खंड के तहत उपलब्ध है।
''अन्य सूचना'', यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर निविदा खंड में जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें ।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 02.04.2024
मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)
1/24-25

To Get All The Popular Newspapers.
Type in Search Box of Telegram

@sharewithpride

If You Want to get these Newspapers Daily at earliest

English Newspapers»»

Indian Express, Financial Express, The Hindu, Business Line, The Times of India, The Economic Times, Hindustan Times, ET wealth, Business Standard, First India, Mint, Greater Kashmir, Greater Jammu, The Himalayan, The Tribune, Brill Express, The Sikh Times, Avenue Mail, Western Times, Millennium Post, The Statesman, State Times, The Pioneer, Hans India, Free Press, Orissa Post, Mumbai Mirror, Mid-Day, Deccan Chronicle, Deccan Herald, Telangana Today, Financial Times, The Asian Age, The Telegraph, Oheraldo, Gulf of Times, The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, USA Today, The Wall Street Journal, The Guardian, The Times

Hindi Newspapers»»

दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दिव्यभास्कर, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, बिज़नस स्टैंडर्ड,

अमर उजाला, जनसत्ता, द पायोनीर, राष्ट्रीय सहारा, प्रभातखबर, लोकसत्ता

Others»»

Hindi & English Editorial, Employment News, Malayalam Newspapers, Tamil, Telugu, Urdu, Gujarati

Type in Search box of Telegram https://t.me/Magazines_8890050582 And you will find a Channel named @Lalit712 join it and receiv daily editions ofall popular epapers at the earliest

Or

you can click on this link

https://t.me/sharewithpride